यालय उपखण्ड ..... कठूमर जिला अलवर

3/2/2021 तारीख रजू.....

रामखिलाड़ी बनाम सीताराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/9/21	वकील प्रार्थी उपस्थित। आज यह प्रार्थना पत्र 212 (2) प्रार्थी के वकील श्री रामजीलाल शर्मा एड0 ने पेश किया। आवश्यक रिपोर्ट ली गई। प्रार्थना-पत्र दर्ज पंजिका हो। अग्रिम अग्रार्थी अर्थ रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली चाहते तलबी दिनांक 13/11/21 को पेशी हो।	
13/11/21	पत्रावली [illegible] कार्य कार में पेश हुई पक्षकारान्..... नहीं होने के कारण प्रकरण का [illegible] हो सका। अतः पत्रावली दिनांक 10/1/22 को न्यायालय हाजा में पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	हमारा राजीनामा हो गया है अतः प्रार्थना पत्र वापस चलाई।
20/12/21	पत्रावली आज वकील प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर तलब होकर पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर अपने प्रार्थना पत्र 212 (2) को खारिज कराने का निवेदन किया। अतः प्रार्थना पत्र 212 (2) वकील प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर नकल से अलग हो बाद तकमील जिला प्रविष्ट रेकर्ड हो। सुनाया उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	रामखिलाड़ी प्रशासन गावों के संग अभियान-2021